

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 69/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/150

दायर दिनांक :- 20.06.2024

निर्णय दिनांक :- 10.07.2025

01. हरचन्द्रराम पुत्र रामलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
-वादी

बनाम

01. केलीदेवी पत्नी बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
02. किरोडीलाल पुत्र बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
03. बनवारीलाल पुत्र हीराराम जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
04. मूमादेवी पत्नी फरसाराम जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
05. विकाशकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तह. बाप जिला फलोदी
06. सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तह. बाप जिला फलोदी
07. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा फलोदी
06. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टैपू जोधाणी तहसील बाप में खसरा नम्बर 33 रकबा 6.1755 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टैपू जोधाणी तहसील बाप में खसरा नम्बर 33 रकबा 6.1755 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी तहसील बाप में खसरा नम्बर 33 रकबा 6.1755 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	केलीदेवी पत्नी बनवारीलाल 772/9401 हिस्सा, किरोडीलाल पुत्र बनवारीलाल 772/9401 हिस्सा, विकास कुमार पुत्र बनवारीलाल 772/9401 हिस्सा, सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल 772/9401 हिस्सा, बनवारीलाल पुत्र हीराराम 6313/9401 हिस्सा जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार। रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा फलोदी।	मोडकिया	33	3.7604 हैक्टेयर	बी-2
2	हरचन्द्रराम पुत्र रामलाल जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	मोडकिया	33	1.8526 हैक्टेयर	बी-2
3	मूमादेवी पत्नी फरसाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	मोडकिया	33	0.5625 हैक्टेयर	बी-2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर राम पिण्डेल आर.ए.एस.
 बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. हरचन्द्रराम पुत्र रामलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी

-वादी

बनाम

02. केलीदेवी पत्नी बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
03. किरोडीलाल पुत्र बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
04. बनवारीलाल पुत्र हीराराम जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
05. मूमादेवी पत्नी फरसाराम जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
06. विकासकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तह. बाप जिला फलोदी
07. सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्‍नोई निवासी मोडकिया तह. बाप जिला फलोदी
08. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा फलोदी
09. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 69/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टपू जोधाणी तहसील बाप में खसरा नम्बर 33 रकबा 6.1755 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	केलीदेवी पत्नी बनवारीलाल 772/9401 हिस्सा, किरोडीलाल पुत्र बनवारीलाल 772/9401 हिस्सा, विकास कुमार पुत्र बनवारीलाल 772/9401 हिस्सा, सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल 772/9401 हिस्सा, बनवारीलाल पुत्र हीराराम 6313/9401 हिस्सा जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार। रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा फलोदी।	मोडकिया	33	3.7604 हैक्टेयर	बी-2
2	हरचन्द्रराम पुत्र रामलाल जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	मोडकिया	33	1.8526 हैक्टेयर	बी-2
3	मूमादेवी पत्नी फरसाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	मोडकिया	33	0.5625 हैक्टेयर	बी-2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.07.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सुप्रीम) पिण्डेल R.A.S.)
बाप (फलोदी) सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुकमनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुकमनामा मुफ्फरिफ मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।